भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 938
(जिसका उत्तर मंगलवार, 5 मई, 2015 को दिया गया)

राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान

938. श्री अजय संचेती :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान की स्थापना करने के पीछे उद्देश्य क्या है;
(ख) इस प्रतिष्ठान का अभी तक का निष्पादन किस प्रकार का रहा है; और
(ग) इसने बेहतर कारपोरेट शासन के अनुपालन की आवश्यकता का किस प्रकार प्रचार किया है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क) : वर्ष 2003 में स्थापित भारतीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान का उद्देश्य न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) के अनुसार, अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) और (ग) : अच्छे कारपोरेट शासन की संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से एनएफसीजी ने आईआईटी, आईआईएम, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय आदि जैसे चौवालिस प्रमुख भारतीय संस्थानों/संगठनों को राष्ट्रीय कारपोरेट शासन केन्द्र प्रत्यायित किया है। ये केन्द्र अच्छे कारपोरेट शासन को बढ़ावा देने के लिए सेमीनार, सम्मेलन, कार्यशालाएं, निदेशकों का अभिमुखीकरण कार्यक्रम आदि संचालित करते हैं और इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य भी करते हैं। एनएफसीजी कार्यशालाओं, सेमीनारों, परिचर्चा मंचों आदि जैसी संयुक्त पहलों के माध्यम से अच्छे कारपोरेट शासन व्यवहारों को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉ-आपरेशन एंड डेवलपमेंट) और एशियन कारपोरेट गवर्नेंस ऐसोसिएशन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भी कार्य कर रहा है। वर्ष 2014-15 के अंत तक एनएफसीजी के

तत्वाधान में 248 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 27 अनुसंधान कार्य पूरे किए गए हैं और कारपोरेट क्षेत्र और समावेशी विकास पर एक सार-संग्रह प्रकाशित किया गया है। प्रतिष्ठान के अनुसंधान रिपोर्ट जिसमें स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका, कारपोरेट सामाजिक दायित्व, ऊर्जा क्षेत्र में कारपोरेट शासन, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार आदि जैसे विषय शामिल होते हैं, हितधारकों के लाभांश इसके वेबसाइट पर भी रखे गए हैं।

*****

अनुलग्नक

राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान से संबंधित दिनांक 05 मई, 2015 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 938 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुलग्नक

(क) सुस्थायी धन सृजन के उपाय के रूप में अच्छे कारपोरेट शासन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराना;

(ख) कारपोरेट अग्रणियों को अच्छे कारपोरेट शासन, सविनियमन और निदेशक के उत्तरदायित्व - सांविधिक, सामाजिक और पर्यावरण के महत्व के संबंध में संवेदनशील बनाना;

(ग) उदारीकरण और वैश्वीकरण के संदर्भ में कारपोरेट शासन सुधारों के लिए फ्रेमवर्क विकसित करने की दृष्टि से कारपोरेट अग्रणियों, नीति निर्माताओं, विनियामकों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक एजेंसियों के मध्य अनुभवों और विचारों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित और सुगम करना;

(घ) कारपोरेट शासन के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण, व्यवहार, क्षमतानिर्माण, मानक बनाने, पक्षधारिता, रेटिंग, निगरानी, मान्यता संबंधित समर्थन उपलब्ध कराना;

(ङ) अनुसंधान और प्रशिक्षण सहित कारपोरेट शासन को बढ़ावा देने वाले कार्यकलापों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय या कोई अन्य सहायता उपलब्ध कराना;

(च) ऐसी रणनीतियां विकसित करना जो सभी पक्षधारकों के लिए मूल्यवर्धन करे और पक्षधारकों और समाज की लंबी अवधि के लाभ सुनिश्चित करे;

(छ) विचारों के आदान-प्रदान के लिए और मिलकर किए जा रहे सहयोगात्मक कार्यों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए कारपोरेट शासन को बढ़ावा देने वाली विश्व के विभिन्न भागों में स्थित संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करना और उन्हें मजबूत करना;

(ज) कारपोरेट शासन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और मान्यताएं स्थापित करना और कारपोरेट शासन रेटिंग की प्रणाली विकसित करना;

(झ) कारपोरेट शासन को बढ़ावा देने में किसी व्यक्ति, समूह, संगठन या संस्थान की पहल को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सहयोग और समर्थन देना;

(ञ) अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों पर विचार करते हुए कारपोरेट शासन के लिए सर्वोत्तम व्यवहारों का कोड विकसित करना और कारपोरेट निकायों द्वारा इसे स्वैच्छिक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करना;

(ट) स्वयं या प्रिंट अथवा अन्य मीडिया के माध्यम से अन्य व्यक्तियों/निकायों के सहयोग से कोई दस्तावेज, पत्रिका या समाचार पत्र, पुस्तक या पर्चियां तैयार, मुद्रित करना और प्रकाशित करना तथा कारपोरेट शासन के क्षेत्र में सूचना और ज्ञान के प्रसारण के लिए किन्हीं दस्तावेजों या पत्रिकाओं में योगदान करना;

(ठ) राष्ट्रीय, अतंर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय संगठनों द्वारा और उद्योग संघों, विनियामकों और सरकारों द्वारा भी वित्तपोषण के लिए व्यक्तियों, ऐसोसिएशनों और संघटनों से प्राप्त प्रस्तावों को सुकर करना, बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना और उस पर सहयोग करना;

(ड) न्यास के कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त करने वालों को उद्योग और उत्कृष्ट संस्थानों से लिए गए परामर्शदाताओं के नेटवर्क के माध्यम से सलाह, परामर्श और तकनीकी और प्रबंधकीय समर्थन उपलब्ध कराना; और

(ढ) अन्य संबंधित उद्देश्य।

*****